HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15136/2025

Dilip S/o Manohar, Aged About 20 Years, Resident Of Bilakh, Police Station - Rishabhdev, District Udaipur.
(Presently Lodged At District Jail, Dungarpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Hardik Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना ऋषभदेव, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में मृतक की पत्नी पी.डब्ल्यू.7 कान्ता देवी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने घटना की ताईद नहीं की है और गवाह पी.डब्ल्यू.1 मणी देवी मुस्तगीसा ने भी घटनास्थल पर घटना के पश्चात पहुंचना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी 10 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है और अन्य गवाहान के बयान बाद में पुलिस द्वारा लेना बताया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में घटना के चश्मदीद साक्षी पंकज मीणा उर्फ भूरा, जीवतराम व संजय मीणा है, जिनके द्वारा घटना कारित

करते हुए देखना बताया है, जिनके बयान अभी तक नहीं हुए हैं। अतः इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में गवाह पंकज मीणा उर्फ भूरा के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान पर विचार किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उनके सामने दिलीप ने बोला कि सौ रुपये तुझे वापस दे देता हुं, कहकर दिलीप व बाबुलाल दोनों बातचीत करते हुए दुकान के आगे गये और वह, संजय व प्रभुलाल तीनों दुकान के पीछे बैठकर बाते कर रहे थे कि जोर जोर से लड़ाई, झगड़ा एवं हाथापाई की आवाज आयी, जिस पर वह व संजय दुकान के आगे जाकर देखा कि बाबुलाल व दिलीप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, जिस पर दिलीप ने जेब से एक चाकू निकाल कर बाबुलाल के सीने व पेट पर वार कर दिया, जिससे बाबुलाल घायल अवस्था में उनके घर की तरफ दौड़ा और कुछ दूरी पर जाकर गिर गया।

6. इसी प्रकार गवाह जीवतराम मीणा ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में यह कथन किया है कि वह अपने घर पर ही था, तो उसे हो हल्ला सुनाई दिया तो वह घर से दौडकर रोड पर आया जहां पता चला कि जीजाजी बाबुलाल दुकान पर विमल लेने के लिये दिलीप को सौ रुपये दिये थे, जिसकी दो दो विमल लेकर खाई और बाकि रुपयों की बात को लेकर बाबुलाल व दिलीप दोनों के बीच झगड़ा हो गया और दिलीप ने बाबुलाल के पेट व सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे बाबुलाल घायल हो गया, जिसको वह व पकंज उर्फ भूरा दोनों घायल अवस्था में ऋषभदेव हॉस्पीटल लेकर आये जहां बाबुलाल के दवाई करायी और कुछ दिन बाद बाबुलाल की तबीयत ज्यादा खराब होने से उदयपुर हॉस्पीटल लेकर गये, जहां ईलाज के दौरान बाबुलाल की मृत्यु हो गयी।

7. इसी प्रकार गवाह संजय मीणा ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में यह कथन किया है कि वह, पंकज, प्रभुलाल व करण दुकान के पीछे ही बैठे थे कि जोर जोर से झगडे की आवाज आयी तो वे सभी ने दुकान के आगे आकर देखा तो बाबुलाल जी व दिलीप मीणा के बीच विमल व बचे रुपयों की बात को लेकर झगड़ा हो रहा था तो दिलीप मीणा ने चाकू निकाल कर बाबुलाल जी के पेट व सीने पर मार दिया, जिससे बाबूलाल लहुलुहान हो गया, जो घायल अवस्था में अपने ससुराल के घर की तरफ भागा तथा दिलीप दुकान के सामने से उसके घर की तरफ भग गया। फिर बाबुलाल जी को उसके परिवार वाले लेकर गये और वह व प्रभुलाल दोनों उनके घर आ गये। उदयपुर में दौराने ईलाज बाबुलाल जी की मृत्यु हो गयी।

8. ऐसी स्थिति में इन तीनों महत्वपूर्ण गवाहों के बयान विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अभी तक होना शेष है और मामले की गंभीरता व उपरोक्त तीनों गवाहों के

बयान अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्टेज पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

10-GauravG/-